राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय महिला अधिकारिता
2, जल पथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक एफ16(2)(40)निमअ/म.उत्पी./पार्ट I/07/38292-324 जयपुर, दिनांक 27/08/09

समस्त उपनिदेशक
(जिला संरक्षण अधिकारी)
महिला एवं बाल विकास विभाग

विषय–घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दायित्व

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 को लागू हुए लगभग तीन वर्ष हो गए हैं। राजस्थान में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति फरवरी, 2008 में होने के पश्चात समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। किंतु यह देखने में आ रहा है कि कई स्थानों पर संरक्षण अधिकारी या तो स्थिति की गंभीरता नहीं समझ पाने के कारण या अज्ञानतावश चूक कर बैठते हैं।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों के दायित्व स्पष्टतः अंकित किए गए हैं। संरक्षण अधिकारियों का मुख्य दायित्व व्यथित महिला को राहत दिलाना है ताकि घरेलू हिंसा से उसका संरक्षण हो सके एवं उसे आश्रय और सुरक्षा मिल सके। इस हेतु संरक्षण अधिकारियों को व्यथित महिला द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR) [प्ररूप 1 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम, 2006 के नियम 5(1) व (2)] तथा नियम 17(3)–अधिनियम की धारा 9(ख) और 37(2)(ग) और सुरक्षा योजना [नियम 8(1)(iv)] तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है।

यह भी ध्यान रखा जाना है कि प्रत्येक DIR पर संबंधित महिला के हस्ताक्षर हों और उसके साथ नियम 6(4)–[अधिनियम की धारा 23(2)] के अनुसार शपथ पत्र आदि संलग्न हों। घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट (DIR) एक संवेदनशील दस्तावेज है जिसमें व्यथित महिला की भावनाएँ और उसके साथ घटित हिंसा के बारे में उसकी परिलक्षित होती है। साथ ही इस बात का अंकन भी किया जाता है कि महिला किस प्रकार की राहत की अपेक्षा रखती है। इस अधिनियम का केन्द्र बिंदु संरक्षण अधिकारी है और इस दृष्टि से संरक्षण अधिकारियों का वैधानिक दायित्व है जिन्हें उन्हे पूरा करना है।

परंतु इस प्रकार के प्रकरण सामने आए है जिनमें संरक्षण अधिकारी द्वारा परामर्शदाता (counsellor) की भूमिका अदा की गई है। कुछ ऐसे प्रकरण भी सामने आए है जिनमें संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रकरण में जॉच कर न्यायालय में व्यथित महिला के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। यह दोनों स्थितियॉ अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। प्रथमतः संरक्षण अधिकारी की भूमिका सलाहकार के रूप में नहीं है। संरक्षण अधिकारी पुलिस की तरह प्रकरण में जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत भी नहीं है। अतः संरक्षण अधिकारी की परामर्शदाता या जॉच अधिकारी के रूप में भूमिका वैधानिक रूप से सही नहीं मानी जा सकती।

अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम, 2006 के अंतर्गत दिए गए अपने दायित्वों का निर्वहन संवेदनशीलता के साथ करेंगे और इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह महिला को संरक्षण, आर्थिक राहत, अभिरक्षा और प्रतिकर आदि दिलाने के पक्षधर है, उन्हें महिला के कथन को घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट (DIR) में दर्ज करना है। इसमें उनकी स्वयं की राय का कोई स्थान नहीं है। वे न तो समझौता कराने का प्रयास करेंगे और न ही महिला के कथन पर किसी प्रकार का अविश्वास जतायेंगे। कथन की सत्यता/असत्यता का निर्धारण न्यायालय को करना है। उसे क्या राहत या प्रतिकर मिलना चाहिए इसका निर्धारण भी न्यायालय को करना है। यह अवश्य है कि संरक्षण अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अधिनियम के अधीन व्यथित महिला को उनके अधिकारों के प्रति जानकारियॉ देंगे (नियम 8(ii)–प्ररूप IV)। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केवल उन परिस्थितियों में जिनमें न्यायालय संरक्षण अधिकारी को व्यथित महिला या उसके परिजनों के घर जाकर उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए लिखित में निर्देश दे (नियम 10) उन्हीं परिस्थितियों में संरक्षण अधिकारी द्वारा होम विजिट की जानी अपेक्षित है।

कई बार संरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण के अभाव की बात करते हैं। जहॉ तक प्रशिक्षण का प्रश्न है उस हेतु योजना बनाई जा रही है। परंतु सभी संरक्षण अधिकारी अनुभवी और पूर्ण रूप से शिक्षित है। इसलिए उन्हें अपने दायित्वों को समझने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर भी निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा समय–'समय पर पत्रों/परिपत्रों द्वारा विभिन्न स्थितियों/भ्रांतियों के निवारण का प्रयास किया जाता रहा है। सभी उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग से आग्रह किया जाता रहा है कि संबंधित सामग्री एवं पत्रों की प्रतियॉ वे अपने स्तर से सभी संरक्षण अधिकारियों को उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त यह भी

आग्रह किया गया है कि इन अधिकारियों के साथ समय–समय पर होने वाली बैठकों में अधिनियम की क्रियान्विति के विषय में विमर्श करें ताकि उन अधिकारियों को संबंधित जानकारियॉं मिल सके।

आपसे आग्रह है कि यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि सभी संरक्षण अधिकारियों के पास उक्त अधिनियम और नियम तथा निर्देशों की प्रतियॉं उपलब्ध है। यदि नहीं तो उसकी व्यवस्था कराये। यह अधिनियम/नियम तथा आवश्यक निर्देश/परिपत्र विभागीय वेबसाइट **www.wcd.rajasthan.gov.in** (Women Empowerment) पर भी उपलब्ध है जहॉं से डाउन लोड किए जा सकते हैं। यह परिपत्र भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है फिर भी यदि किसी संरक्षण अधिकारी को इस विषय में स्पष्टीकरण या जानकारी की आवश्यकता हो तो वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता से सीधे मोबाइल नंबर 98283–74159 या email Id-- **s_kumar_we@yahoo.in** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
सलाहकार

प्रतिलिपि– 38325-57/27/8/09

समस्त जिला कलक्टर को इस अनुरोध के साथ कि जिला महिला सहायता समिति (जिसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए जिले में शीर्ष समिति बनाया गया है) की बैठकों में भी इस अधिनियम के अंतर्गत संपन्न कार्यवाहियों की समीक्षा करते रहें। इसके अतिरिक्त जिले में महिला अत्याचारों के प्रकरणों की समीक्षा हेतु गृह विभाग द्वारा गठित समिति में भी इसकी समीक्षा की जानी उपयुक्त होगी।